

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एस 441/94 (लिंक नं. 5391)/अलेसे-III/ दिनांक

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 220/2011-12 दिनांक 27.12.2011 के द्वारा श्री सुभाष चन्द शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया था जहाँ श्री सुभाष चन्द शर्मा द्वारा दिनांक 11.01.2012 को कार्यग्रहण कर लिया गया था। दिनांक 10.01.2016 को श्री सुभाष चन्द शर्मा के चार वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के पत्र क्रमांक प. 4/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2015/4499 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने की अनुशंसा के मद्देनजर 1 वर्ष की अवधि वृद्धि की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

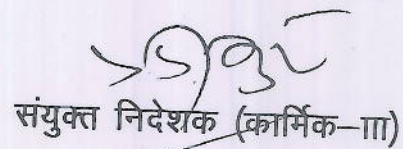


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/एस 441/94 (लिंक नं. 5391)/अलेसे-III/ ¹²⁶⁸⁴⁻⁸⁷ दिनांक 3-2-16.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन, जयपुर को प्रेषित है।
2. श्री सुभाष चन्द शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन, जयपुर।
3. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. अति. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन शाखा।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)